



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र. (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाईट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 3276 / SEIAA/2022

Date: 4/3/22

प्रति,

श्री सचिन दुगरवाल,

आत्मज श्री श्रीपाल जैन,

निवासी 519, रिंगरोड़, तहसील जौरा,

जिला -रतलाम (म.प्र.)-457376

विषय:- प्रकरण क्र. 8764 / 2021 परियोजना प्रस्तावक श्री सचिन दुगरवाल आत्मज श्री श्रीपाल जैन, निवासी 519, रिंगरोड़, तहसील जौरा, जिला रतलाम (म.प्र.)-457376 द्वारा मुरुम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 1155, ग्राम झलावा, तहसील जौरा, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण प्रकरण सिया की 697वी बैठक दिनांक 27.12.2021 लिये गये निर्णय अनुसार प्रकरण SEAC समिति के समक्ष पुनः परीक्षण हेतु भेजा गया था जिसे SEAC समिति द्वारा 545वी बैठक दिनांक 29.01.2022 में पुनः अनुशांसा उपरांत SEIAA की 706 वी बैठक दिनांक 16.2.2022 में निम्ननुसार निर्णय लिया गया:-

SEAC द्वारा उक्त प्रकरण में 180 मीटर पर Wind Mill परिलक्षित है जिसमें मापदण्ड अनुसार निर्धारित दूरी 300 मीटर छोड़ने के पश्चात् खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध न होने के कारण प्रकरण को निरस्त करने की अनुशांसा की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 15.12.2021 को ई-मेल के माध्यम से कार्यालय जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी मंदसौर के अनापत्ति पत्र क्र. 232 दिनांक 15.12.2021 प्रस्तुत किया गया है, अतः उक्त प्रकरण को पुनः परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये.....

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 528वी बैठक दिनांक 23.11.2021 की अनुशांसा को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा मान्य करते हुए विस्तृत विचार विमर्श एवं सर्व सम्मति से पर्यावरण स्वीकृति के आवेदन को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया। सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार अपका प्रकरण निरस्त किया जाता है।

(श्रीमन् शुक्ला)

सदस्य सचिव

पु.क्र. 3277 / SEIAA/2022

दिनांक - 4/3/22

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, सेक, अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला -रतलाम (म.प्र.)
5. वन मंडलाधिकारी, जिला - रतलाम (म.प्र.)
6. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिक रोड नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
7. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
8. जिला खनिज अधिकारी, जिला - रतलाम (म.प्र.)
9. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी